राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या – 296/2022

1. सुनिता देवी पुत्री बोदुराम
2. कविता देवी पुत्री बोदुराम
3. बसन्ती देवी पत्नी बोदुराम
4. ओमप्रकाश पुत्र श्योपाल
5. राजू पुत्र श्योपाल
6. हजारीलाल पुत्र श्योपाल

जाति मेघवाल निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. भागीरथमल पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी पपुरना।
2. राजस्थान सरकार वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, खेतड़ी।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।
4. पूरण पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल निवासी पपुरना।
5. विजय कुमार पुत्र बोदूराम मेघवाल निवासी पपुरना।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी ख.नं. 4011/1669 ग्राम पपुरना

::निर्णय:: **दिनांक 09–09–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम पपुरना पटवार हल्का पपुरना स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 102 के ख. नं. 4011/1669 रकबा 0.51 हे. के खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 4011/1669 रकबा 0.51 हे. के उत्तर व पश्चिम दिशा की मेढ़ के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.नं. 1688 रकबा 0.16 हे. सींव जोड़ स्थित है तथा पूर्व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशाओं में अप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि 1687, 1689, 2020, 4012/1687 लगती है। प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 4011/1669 की उत्तरी पश्चिमी सीमा अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 1688 के साथ लगती है अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 4011/1669 की उत्तरी पश्चिमी सीमा [illegible] है व सीमा को तोड़ देता है तथा जब प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को सीमा [illegible] के लिये कहते हैं तो वह नहीं मानता व मारपीट करने पर आमादा [illegible] सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। इस पर प्रार्थीगण [illegible] तहसीलदार खेतड़ी को [illegible] करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर प्रार्थीगण की [illegible] भूमि ख.नं. 4011/[illegible] का सीमाज्ञान करवाने का पटवारी हल्का बीलवा को आदेश दिया। उसके बाद पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

ने कार्यालय भू–अभिलेख झुन्झुनूं द्वारा सर्वे शीट क्रमांक 3017 जारी दिनांक 20.12.2019 के मुताबिक जरीब चलाकर ख.नं. 4011/1669 का सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित मौतबीरान के समक्ष कराया और मौके पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह् कायम किये गये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत ख.नं. 4011/1669 के साथ तोड़ी हुई सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 के कर्मचारी भी सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 4011/1669 की सींव को तोड़ देता है एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देता है। इसलिये यह आवेदन प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 4011/1669 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 4011/1669 रकबा 0.51 है. की चारों सीमायें जो ख.नं. 1688, 1687, 1689, 2020, 4012/1687 के साथ लगती है। उक्त खसरा नंबर की सर्वे शीट से नपती करवाकर ख.नं. 4011/1669 की चारों सीमाओं पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में फोटो प्रति नक्शा किश्तवार, फर्द मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 102 ग्राम पपुरना, खाता सं. 104 ग्राम पपुरना, फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 206 व खाता सं. 1 ग्राम पपुरना पेश की गई।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम पपुरना की जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 102 खसरा नंबर 1690 रकबा 0.15 है., ख.नं. 4011/1669 रकबा 0.51 है. प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 व 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 22–06–2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीगण पुनः ख.नं. 4011/1669 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जो विधिसम्मत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम पपुरना स्थित भूमि खसरा नंबर 4011/1669 रकबा 0.51 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 09–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:08 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी